**जिला– सहरसा**
**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम,सहरसा**
–सह–
विषेष न्यायाधीष,सहरसा
**स्पेषल–46/2016**
**G.R.2207/2014**

1. राज्य (द्वारा ) अम्बिका पासवान.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. मुन्ना कुमार उर्फ कुंदन पंडित पिता–कुमार किषोर साह उम्र करीब 34 वर्ष,
2. पवन साह पिता–स्व.कमलेष्वरी साह उम्र करीब 49 वर्ष
3. किषोर साह पिता–स्व. स्वा.कमलेष्वरी साह उम्र करीब 56 वर्ष

साकिनान–नया टोला, जम्हारा थाना– पतरघट
जिला–सहरसा.....अभियुक्तगण

**वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–**

| | | |
|---|---|---|
| घटना की तिथि | 05.06.2014 | |
| प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि | 16.08.2014 | धारा–341,323,379,504/34 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(x) एस.सी/एस.टी.अधि. |
| आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने तिथि | 412/2014<br>15.10.2014 | धारा–341,323,384,504/34 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(x) एस.सी/एस.टी.अधि. |
| संज्ञान लेने की तिथि | 27.05.2016 | धारा–341,323, 384,504/34 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(x) एस.सी/एस.टी.अधि. |
| आरोप गठन की तिथि | 29.08.2026 | धारा–341, 323/34, 384/34, 504 भा.द.वि. एवं धारा– 3(i)(x)एस.सी./एस.टी.अधि. |
| अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि | 28.09.2016 | |
| अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि | 23.04.2026 | |
| धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि | 20.05.2026 | |
| सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि | 20.05.2026 | |
| सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि | 20.05.2026 | |
| बहस प्रारंभ होने की तिथि | 20.05.2026 | |

बहस बंद करने की तिथि 20.05.2026

निर्णय की तिथि 20.05.2026

अभियोजन की ओर से :– श्री अमरेंद्र कुमार
विद्वान विषेष लोक अभियेाजक

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री कृष्ण गोपाल षर्मा, विद्वान अधिवक्ता

**सहरसा,दिनांक–20 वीं मई 2026**

उपस्थितः– श्री संतोष कुमार ,
अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम
सह विषेष न्यायाधीष
सहरसा।

**निर्णय**

1. इस आपराधिक वाद के अभियुक्तगण 1. मुन्ना कुमार, 2. पवन साह, 3. किषोर साह के विरूद्ध धारा– 341, 323/34, 384/34, 504 भा.द.वि. एवं धारा–**3(i)(x)**एस.सी./एस.टी.अधि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिष्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांष यह है कि इस वाद के सूचक अम्बिका पासवान के अनुसार यह है कि मुदालह सदर आपस में मेली सरोकारी एवं एक गुट बनाकर इलाके में अपराधिक कार्य को अंजाम दिया करता है जबकि मुदैय एक कानून प्रिय अमन पसंद व्यक्ति है तथा अवकाष प्राप्त षिक्षक है। उक्त तारीख को सभी मुदा0 नाजायज मजमा बनाकर वो घातक हथियार से लैष होकर मुदैय के घर पर आया तथा मुदैय के कनपट्टी में पिस्तौल सटा कर बोला कि साले पासवान षिक्षक के पद से अवकाष किया है बहुत रूपया मिला है, रंगदारी में 100000/ (एक लाख रूपया) देना होगा। इसपर मुदैय विरोध किया तो मुदालह नं.1 सभी मुदा0 को आदेष दिया कि यह साला दुसधवा ऐसे नहीं मानेगा इसे मारपीट कर घर का सारा समान लूट लो। मुदा0 नं.1 के कहते ही मुदा.नं.2 मुदैय के घर में घुसकर स्टील का एक बक्सा जिसमें कपड़ा लत्ता एंव नगद 25000/–रू. था बक्सा सहित लेकर चला गया तथा मुदैय को बूरी तरह मारपीट करने लगा। मुदैय को मारपीट करते देख उनका पुत्र अनिल पासवान बचाने आये तो उसे भी मुदा0 दुसधवा पासवान कहकर मारपीट करने लगे एवं मारपीट किया। हल्ला पर गवाह लोग आये जिससे मुदैय एवं उनके पुत्र की जान बची। मुदैय उसी रात थाना पर सूचना देने गया तो दरोगा जी कोई कार्रवाई नहीं किये बोले कि कल कोर्ट में केस करो तब मुदैय लौटकर आ गये तो आज न्यायालय में यह नालसी दायर कर रहा है। उपरोक्त आषय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

3. उपरोक्त आषय का सूचक के फर्दब्यान के आधार पर सौरबाजार (पतरघाट ओ.पी.) थाना कांड संख्या–393/2014 धारा–341,323,379,504,34 भा.द.वि. एवं

धारा–3(i)(x) एस.सी./एस.टी.अधि. के अंतर्गत नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्त मुन्ना कुमार एवं अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–412/14 दिनांक–15.10.2014 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने परं अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–27.05.2016 को धारा–341,323,384,504,/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(i)(x)अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि. के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया।

5. दिनांक–29.08.2016 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341,323/34 504 भा.द.वि. एवं धारा–3(i)(x) अनु.जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधि. के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पष्चात अभियोजन साक्षी का साक्ष्य ग्रहण किया गया है। साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पष्चात दिनांक–20.05.2026 को अभियुक्तगण का बयान धारा–313 द. प्र.स.के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्तगण का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिष्चयन का प्रष्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

7. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से एकमात्र साक्षी, साक्षी संख्या–1 अनिल कुमार पासवान का साक्ष्य कराया गया है ।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई कागजात प्रदर्ष अंकित नहीं कराया गया है।

8. अभियोजन साक्षीं सं.–1. अनिल कुमार पासवान है, इनका परीक्षण दिनांक–04.09.2017 को हुआ है। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि ढाई वर्ष छः बजे संध्या, मुन्ना साह, किषोर साह, पवन साह दस अज्ञात मेरे दरवाज पर आये मेरे पिता से एक लाख रूपया रंगदारी मांगे। विरोध करने पर मुन्ना साह बोला साला दुसाध षिक्षक से रिटायर हुआ बहुत पैसा मिला होगा। बंदुक के कुंदा से मारा। किषोर साह घर का सामान ले लिया। अंदर सभी घुसे, एक बक्सा जिसमें 25000/–रू. जेबरात सभी लेकर चले गये। हम विरोध किये तो मुन्ना साह एवं चंदन साह लप्पड़ थप्पड़ से मारपीट किया। हल्ला हुआ तो गांव के लोग आये तो अभियुक्तगण भाग गये। पुनः कहते है कि 06.05.2014 की घटना है। कोर्ट में कब केस हुआ नहीं पता। पिता के साथ केस करने नहीं आया था। नोटिष पर गवाही देने आया हूं। केस करने पर पिता बताये गवाह में तुम्हारा नाम दिया हूं। यहां से जमरा 3 कि.मी. मुदा.का घर नया टोला जम्हरा है। मेरे पिता का 31 जुलाई 2012 में रिटायर हुए। रिटायर करने पर 2012 ई. में रंगदारी मांगा। घटना के पहले कभी रंगदारी नहीं मांगा।

बचाव पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण में साक्षी ने कहा कि इस मुकदमा में सभी मुदलहों से मेल हो गया है। मेल और परमीषन आवेदन भी दाखिल किया जा

चुका है। जिसपर दोनों पक्षों के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर है। रात्री का समय एवं अत्यधिक भीड़–भाड़ रहने के कारण कौन किसको गाली दिया या मारपीट किया मैं देख नहीं पाया। प्राथमिकी दर्ज होने समय तक किसी प्रकार का रंगदारी की मांग नहीं किया गया था। इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ था। इस मुकदमा का पलटा वाद जो हुआ था उसमें भी मेल हो गया है। सभी मुदालहगण मेरे गांव के हैं इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूं। इसके अलावा अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**<u>मंतव्य</u>**

09. उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्षी का अवलोकन किया। अभियोजन साक्षी संख्या–1.अनिल कुमार पासवान हैं, जो इस वाद के एकमात्र साक्षी हैं ने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि इस मुकदमा में सभी मुदलहों से मेल हो गया है। मेल और परमीषन आवेदन भी दाखिल किया जा चुका है। जिसपर दोनों पक्षों के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर है। रात्री का समय एवं अत्यधिक भीड़–भाड़ रहने के कारण कौन किसको गाली दिया या मारपीट किया मैं देख नहीं पाया। प्राथमिकी दर्ज होने समय तक किसी प्रकार का रंगदारी की मांग नहीं किया गया था। इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ था। इस मुकदमा का पलटा वाद जो हुआ था उसमें भी मेल हो गया है। सभी मुदालहगण मेरे गांव के हैं इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूं। इसके अलावा अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपित सभी धाराएं–341, 323/34, 504 भा.द.वि. पक्षकारों के द्वारा सुलहनीय है। लेकिन अन्य धाराएं 384/34 भा.द.वि. एवं धारा–3(i)(x)एस.सी/एस.टी.अधि. सुलहनीय नहीं है। अतः इस संदर्भ में साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्होंने अभियुक्तों द्वारा उक्त आरोपित धाराओं का समर्थन नहीं किया है बल्कि इस बिंदु पर इनका साक्ष्य विरोधाभाष रखता है जो कि युक्तियुक्त संदेह की परिधि में लाता है।

10. उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों, तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचनोपरांत स्पष्ट है कि प्रस्तुत साक्षी का साक्ष्य घटना का समर्थन नहीं करते हैं एवं पूर्णतः विरोधाभाष रखते हैं, ये सभी तथ्य, अभियोजन कथन एवं उपरोक्त अभियुक्तगण के उपर लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह की परिधि में लाता है।

11. उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्को, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा वाद की परिस्थितियों के विवेचनोपरांत यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण 1. मुन्ना कुमार 2. पवन साह एवं 3. किषोर साह को धारा–341, 323/34, 384/34 504 भा.द. वि. एवं धारा–3(i)(x)अनु. जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधि. के आरोपों से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम
सह विषेष न्यायाधीष
20.05.2026

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम
सह विषेष न्यायाधीष
20.05.2026

**अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची**

**क–अभियोजन**

| रैंक | नाम | साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्षी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| p.w.-1 | अनिल कुमार पासवान | अन्य साक्ष्य |

**ख–बचाव पक्ष साक्षीगण**

| रैंक | नाम | साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्षी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| | | |

**ग–बचाव पक्ष साक्षीगण**

| रैंक | नाम | साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्षी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| | | |

**अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्ष की सूची**

**क–अभियोजन**

| क्रमांक | प्रदर्ष संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| | | |

**ख–बचाव पक्ष**

| क्रमांक | प्रदर्ष संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| | | |

**ग–न्यायालय प्रदर्ष**

| क्रमांक | प्रदर्ष संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| | | |

**घ–वस्तु प्रदर्ष**

| क्रमांक | प्रदर्ष संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| | | |

( संतोष कुमार )
अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम
सह विषेष न्यायाधीष
सहरसा
20.05.2026